रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29102020-222819
CG-DL-E-29102020-222819

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3427] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 28, 2020/ कार्तिक 6, 1942
No. 3427] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 28, 2020/ KARTIKA 6, 1942

Indiacode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2020

का.आ. 3881(अ).— प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 653 (अ), तारीख 31 जनवरी, 2019, द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 4 फरवरी, 2019, को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, पूर्वोक्त प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युतर में व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया था;

और, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान और सोनाई-रूपाई वन्यजीव अभयारण्य असम के सोनीतपुर जिले में स्थित है; जबकि नमेरी राष्ट्रीय उद्यान का वर्ष 2000 में असम सरकार की अधिसूचना सं. एफ आर डब्ल्यू-95/99/70 दिनांक 1 मार्च, 2000 के द्वारा नमेरी राष्ट्रीय उद्यान (1998 में अधिसूचना सं. एफ आर डब्ल्यू II/96/81, दिनांक 13 अगस्त, 1998 को

अधिसूचित किया) के कोर क्षेत्र 200 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत कोर क्षेत्र के साथ नमेरी बाघ रिज़र्व घोषित किया गया और पूर्व और पश्चिम पर बफर क्षेत्र का 144 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बाघ रिज़र्व के कुल क्षेत्र का 344 वर्ग किलोमीटर है और सोनाई-रूपाई वन्यजीव अभयारण्य (1998 में अधिसूचना सं. एफ आर डब्ल्यू–33/98/11 दिनांक 13 सितम्बर, 1998 क्षेत्र 220 वर्ग किलोमीटर के साथ अधिसूचित है) को असम सरकार अधिसूचना सं. एफ आर एम.236/2014/20 दिनांक 18 जून, 2015 के द्वारा नमेरी बाघ रिज़र्व को सैटेलाइट कोर घोषित किया गया था, जिसमें सोनाई-रूपाई वन्यजीव अभयारण्य के 220 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से 120 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है; दोनों संरक्षित क्षेत्र उच्च जैव-विविधता मूल्य के साथ अरूणाचल प्रदेश की सीमा और वन क्षेत्रों से सटे हुए हैं;

और, दोनों संरक्षित क्षेत्र पूर्वी हिमालय के पादगिरि में स्थित हैं जिनमें नमेरी राष्ट्रीय उद्यान का 200 वर्ग किलोमीटर और सोनाई-रूपाई वन्यजीव अभयारण्य का 220 वर्ग किलोमीटर से क्षेत्र सम्मिलित है जिसमें हाथियों की जनसंख्या के लिए सुरक्षित गलियारा साथ ही बाघों की जनसंख्या के लिए संरक्षण की आवश्यकता है;

और, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, सोनाई-रूपाई वन्यजीव अभयारण्य और नमेरी बाघ रिज़र्व उत्तर पूर्व भारत जैव-भौगोलिक जोन के उत्तर पूर्व ब्रह्मपुत्र घाटी जैव-भौगोलिक प्रांत (9ए) से संबंधित है और इसमें असम घाटी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उप-हिमालयन लाइट जलोढ़ अर्ध सदाबहार वन, पूर्वी जलोढ़ माध्यमिक अर्ध-सदाबहार वन, केन ब्रेक, निचला जलोढ़ सावाना वनस्थली, पूर्वी हॉल्लोक वन, पूर्वी मौसमी दलदल वन, पूर्वी डिल्लेनिया दलदल वन और पूर्वी आर्द्र जलोढ़ घासभूमि है;

और, संरक्षित क्षेत्रों के मुख्य वृक्ष प्रजातियों में लेगरोस्ट्रिमिया फ्लोस-रेजिना, मंगिफेरा *सयलवाटिका, एम्बेलिका ऑफ़िसिनालिस, स्पोंडियस मैन्गीफ़ेरा, ड्रिमाइकार्पस रीमोसस, मनसोनिया दीपिकाइ, डायसोक्सिलम बिनेक्टीफेरुम, क्रेटेवा रेलिगिओसा,* टर्मिनलिया बेलेरिका, *सेमिकारपूस अनेकार्डियम,* ओरोक्सिलम *इंडिकम, तरेविया नुदीफ्लोरा, तेतरामाटिस नुडिफ्लोरा,चिकरास्सिया तबूलारिस, मोरूस लविगाटा, क्रिप्टोकेरिया एमाइडालिमा, तालाउमा* होड्गसनी, *एललांथुस ग्रांडिस, फोइबे गोअलपारेंसिस,* पटेरोजप्रमुम *अकरिफोलियम, डिल्लेनिया पंतगयाना, मिचेलिया चम्पाका, सिनोकार्डिया ओडोराटा, गमेलिना अर्बोरिया, प्ररेम्ना बेंगालेंसिस, नयस्सा सेस्सिलिफ्लोरा, मेलिया अजादीराकट, इयगिनिया इपेरकुलाटा, पटेरोस्पेरमुम अकेरीफोलियम, अदीना कॉर्डिफोलिया, टर्मिनालिया चेबुला, केस्टानोप्सिस स्पा, लिटसिया पोलयांथिया, टर्मिनालिया मायरोकारपा,* सेडरला *टोन, गेरूगा पिन्नाटा,एंथोसेफालुस कैदाम्बा, बाउहिनिया पुरपुरिया, मिशेलिया ओर्बोना, मिचेलिया ओबलोंगा, मिचेलिया गलोबोसा, पोल्यांथिया जेंकिन्सि, दौबांगा सोन्नेराटिओइडेस, अल्बिज्जिया ओडोराटिस्सिमा, बरिदेलिया रतुसा, एरीथ्रिना स्पा, इवोदिया मेलियाफोलिया, स्चिमा वाल्लिचि, मेसुआ फेर्रेना, डिल्लेनिया इंडिका, कायदिया कलयचिना, मिचेलिया मोन्टाना, अल्स्टोनिया स्चोलोरिस, लागेरस्ट्रोइमिया पारविफ्लोरा, कैशिया फिस्तुला, सापियम बाक्कातुम, बिस्चोफिया जवानिका हैं;* जबकि संरक्षित क्षेत्रों के झाड़ियों और घासों में *क्लेरोडेंड्रॉन सिफोनान्थुस, मोरिंडा अंगुस्टीफोलिया, लेका अकुमिनाटा, अलपिनिया मोल्लूउकिनेंसिस, अधाटोदा वासिका, कॉफ्फिया बेंगालेंसिस,* क्लेरोडेंड्रोन इन्फोर्टुनैटियम, राइटिया टोमेंटोसा, *फयरिउम परविफ्लोरा, साक्चारूम स्पोंटनेउम, नेयरांदिया रेयनांदिअना, टयफा इलेफांटिना, अरूंडो डोनाक्स, डोलहोंसिस बरारकटेअ, मेलोस्टोमा मालाबरिकम, फलोगोकंथुस थयसिफलोरूस, थेमि कौडाटा* और *अल्पिनिया अलुघास* और *कलामुस लतिफोलिउस, कलामुस फ्लोरिबंडस, कलामुस फ्लागेल्लुम,* डोरिस ओबलोंगा, *डेर्रिस इलिपटिका, स्पाथोलोबुस* रॉक्सबरघी, *विटिस लतिफ्लोरा, तिनोस्पोरा* कार्डिफ़ोलिया,*मिल्लेटिया कोनडाटा, डालबेरगिया रिमोसा,* आदि हैं, संरक्षित क्षेत्रों में केन और पर्वतरोहियां पाई जाती हैं;

और, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, सोनाई-रूपाई वन्यजीव अभयारण्य संरक्षित क्षेत्र आठ वैश्विक खतरे में पड़ी प्रजातियों, ग्यारह खतरे में पड़ी प्रजातियों और पांच के खतरे के कगार वाली प्रजातियों का वास है; और संरक्षित क्षेत्र आवासी और

प्रवासी पक्षीजीवों की संख्या जैसे इबिस बिल्ल, पल्लास फिशिंग ईगल, स्लेंडर बिल्लेड गिद्ध, हिमालयन गरिफ्फों गिद्ध, ग्रेट हॉर्नबिल, रुड्डी शेल्डक, मरगेंगेर का आश्रय प्रदान है; और संरक्षित क्षेत्र के मुख्य स्तनधारी प्रजातियों में हाथी *एलिफस मैक्सीमूस*, बाघ *पैंथेरा टाइगरिस*, तेंदुआ *पैंथेरा पार्डस*, मलिन तेंदुआ *नेओफेलिस नेबुलोस,* जंगली कुत्ता *कुओन अल्पाइंस,* काला भालू *उरसुस थिबेटनस*, रीछ *मेलउर्सुस उर्सिनस*, पिग्मी हॉग *पोरकुला सल्वानिया (पुन:प्रस्तुत)*, गौर *बोस गौरस,* सांभर *रुसा यूनीक्लोर*, कैप्ड लंगूर *त्रच्यपिथेकस पिलातुस, गोल्डन बिल्ली काटोपुमा टेम्मींक्की, बिंटरोंग* आर्क्टिकटिस बिंटूरोंग, *लार्ज सिवेट विवेर्रा जिबेथा, भारतीय* साल (*मानिस क्रैसिकाउडाटा*), अस्सामेसे मैकक्वे *मकाका* अस्सामेसे, आदि हैं; और संरक्षित क्षेत्र का असीम शोध, मनोरंजनात्मक और शैक्षिक मूल्य है;

और, संरक्षित क्षेत्रों के आसपास बढ़ती मानव जनसंख्या से आने वाले समय में तक संरक्षित क्षेत्र में पर्यावासों, पशुओं, पक्षियों और मछलियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है;

और, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान और सोनाई-रूपाई वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं पारिस्थितिकी पर्यावरणीय से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, जैव विविधिता की दृष्टि सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असम राज्य के सोनीतपुर और उदलगूरी जिला के नमेरी राष्ट्रीय उद्यान और सोनाई-रूपाई वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 48 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को नमेरी राष्ट्रीय उद्यान और सोनाई-रूपाई वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएं.-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार नमेरी राष्ट्रीय उद्यान और सोनाई-रूपाई वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 48 किलोमीटर तक विस्तृत है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 1338.62 वर्ग किलोमीटर है; अरूणाचल प्रदेश सीमा के भाग पर शून्य विस्तार है जहां राज्य का रिज़र्व वन क्षेत्र और खासकर पाक्के रिज़र्व वन समीपवर्ती है।

(2) नमेरी राष्ट्रीय उद्यान और सोनाई-रूपाई वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध-I** के रूप में संलग्न है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के नमेरी राष्ट्रीय उद्यान और सोनाई-रूपाई वन्यजीव अभयारण्य का मानचित्र **उपाबंध-IIक** और **उपाबंध-IIख** के रूप में संलग्न है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और नमेरी राष्ट्रीय उद्यान और सोनाई-रूपाई वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध-III** की सारणी **क**, सारणी **ख** और सारणी **ग** में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-IV** की सारणी **क** और सारणी **ख** के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना– (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी.-

(i) पर्यावरण;
(ii) वन और वन्यजीव;
(iii) कृषि;
(iv) राजस्व;
(v) शहरी विकास;
(vi) पर्यटन;
(vii) ग्रामीण विकास;
(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
(ix) नगरपालिका;
(x) पंचायती राज;
(xi) असम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड; और
(xii) लोक निर्माण विभाग।

IndiaCode

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में, जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों, का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैरा-4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह विस्तारी होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कार्यों को करने के लिए मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर उपर्युक्त भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा-लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत गृह वास सम्मिलित है; और

(v) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अधीन अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई गलती, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि गलती के सुधार में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों.**- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक झरनों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा।

IndiaCode

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जाएगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिजॉर्ट के सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट का स्थापना केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी–पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देते हुए (समय-समय पर यथा-संशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नये होटल या रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापना का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपूरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की और उपक्षेत्रों पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**.- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, साधारणों मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के द्वारा प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन (ईएसएम) अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा.-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय यातायात.-** यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(15) **यानीय प्रदूषण.-** लागू विधियों के अनुपालन में वाहन प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा और स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो; पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी;

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अन्तर्गत तटीय विनियमन जोन, 2011 और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियों के जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53), सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं. **(1)**	**क्रियाकलाप** **(2)**	**वर्णन** **(3)**
	अ. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां ।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी; (ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश 4 अगस्त, 2006 और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में होगा ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	प्रतिषिद्ध।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।

8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	प्रतिषिद्ध।
9.	पोलिथीन बैगों का उपयोग ।	प्रतिषिद्ध।
	आ. विनियमित क्रियाकलाप	
10.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से, जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी: परंतु यह कि गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
12.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
13.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होंगे ।
14.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
15.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जा सकेगा)।
16.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं ।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना ।

17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण ।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा ।
18.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस, आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
19.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
20.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
21.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, दुग्ध उद्योग, कृषि और मछली पालन ।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात ।
22.	फर्मों, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
23.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्तारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनःचक्रण और पुनःउपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण या प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
24.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
25.	ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
26.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
27.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
28.	वाणिज्यिक सूचनापट्ट और होर्डिंग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
29.	खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि कृषि और अन्य उपयोग के लिए ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
30.	नदियों और प्राकृतिक जल निकायों में मछली पकड़ना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
इ. संवर्धित क्रियाकलाप		
31.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अंगीकृत करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

40.	निम्नीकृत भूमि या वन या वास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
41.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की मानीटरी के लिए मानीटरी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

क्र.स.	मानीटरी समिति का गठन	पदनाम
(i)	आयुक्त, उत्तरी असम प्रभाग, तेजपुर	पदेन, अध्यक्ष;
(ii)	वन संरक्षक, उत्तरी असम सर्कल, तेजपुर	सदस्य;
(iii)	उपायुक्त (सोनीतपुर, बिश्वनाथ चाराली और दरंग)	सदस्य;
(iv)	प्रभागीय वन अधिकारी (सोनीतपुर पूर्व प्रभाग और सोनीतपुर पश्चिम प्रभाग)	सदस्य;
(v)	क्षेत्रीय अधिकारी, असम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य;
(vi)	जिला उद्योग महाप्रबंधक (सोनीतपुर, बिश्वनाथ चाराली और दरंग)	सदस्य;
(vii)	जिला कृषि अधिकारी (सोनीतपुर, बिश्वनाथ चाराली और उदलगुरी)	सदस्य;
(viii)	दो बाहरी पर्यावरण विशेषज्ञ या गैर सरकारी संगठन के सदस्यों को असम सरकार या तीन साल की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए	सदस्य;
(ix)	प्रभागीय वन अधिकारी, पश्चिमी असम वन्यजीव प्रभाग	सदस्य-सचिव।

6. निर्देश–निबंधन.- (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटरी करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के पुन: गठन तक के लिए होगा और तत्पश्चात मानीटरी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके जो पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा-विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविर्निष्ट प्रतिषिद्ध क्रिलाकलापों के मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उपाबंध V में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. अतिरिक्त उपाय.- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. **उच्चतम न्यायालय, आदि आदेश.-** इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे।

[फा. सं. 25/117/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध- I

असम राज्य में नमेरी राष्ट्रीय उद्यान और सोनाई-रूपाई वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा विवरण

उत्तर: नमेरी बाघ रिज़र्व और सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा जी.पी.एस. बिंदु सं 1 (92° 39' 49.154" पू एवं 27° 2' 15.953" उ) से आरंभ होती है जो कि असम अरूणाचल प्रदेश अंतर-राज्य सीमा पर स्थित है। जी.पी.एस.बिंदु सं.1 से पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा जी.पी.एस. बिंदु सं.2 से 14 को पार करके नमेरी बाघ रिज़र्व के साथ साथ अंतर-राज्य सीमा के साथ जाती है और जी.पी.एस. बिंदु सं. 15 (93° 1' 30.098" पू, 26° 54' 45.891" उ) से मिलती है। जी.पी.एस.बिंदु सं 15 से पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा जी.पी.एस. बिंदु सं. 16 से 25 को पार करके असम अरूणाचल प्रदेश अंतर राज्य सीमा के साथ पूर्व की ओर जाती है और जी.पी.एस. बिंदु सं. 26 (93° 26' 50.328" पू, 26° 57' 8.210" उ) से मिलती है।

पूर्व: पूर्वी सीमा जी.पी.एस.बिंदु सं.26 से आरंभ होती है सीमा जी.पी.एस.बिंदु सं. 27 को पार करके सेंगेलीजन रिज़र्व वन सीमा के साथ दक्षिण की ओर जाती है और जी.पी.एस. बिंदु सं.28 (93° 25' 23.939" पू, 26° 55' 53.734" उ) से मिलती है।

दक्षिण: जी.पी.एस. बिंदु सं. 28 से, सीमा जी.पी.एस. बिंदु सं.29 से 66 को पार करके क्रमश: सेंगलीजन, बेहाली, बिसवानाथ और नदौर रिज़र्व वन सीमाओं के साथ पश्चिम की ओर जाती है जी.पी.एस. बिंदु सं. 67 (92° 56' 8.272" पू, 26° 52' 40.176" उ) से मिलती है। जी.पी.एस. बिंदु सं. 67 से सीमा जी.पी.एस. बिंदु सं 68 से 75 को पार करके नमेरी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 1 (एक) किलोमीटर के बफर में जाती है और जी.पी.एस.76 (92° 48' 27.124" पू, 26° 52' 54.562" उ) से मिलती है। जी.पी.एस. बिंदु सं. 76 से, सीमा जी.पी.एस. बिंदु सं. 77 को पार करके सेंगलीमरी रिज़र्व वन सीमा के साथ जाती है और जी.पी.एस. बिंदु सं. 78 (92° 47' 55.219" पू, 26° 53' 19.231" उ) से मिलती है। जी.पी.एस. बिंदु सं. 78 से, सीमा जी.पी.एस. बिंदु सं.79 से 86 को पार करके बलीपारा और चारदौर रिज़र्व वन सीमाओं के साथ जाती है और

IndiaCode

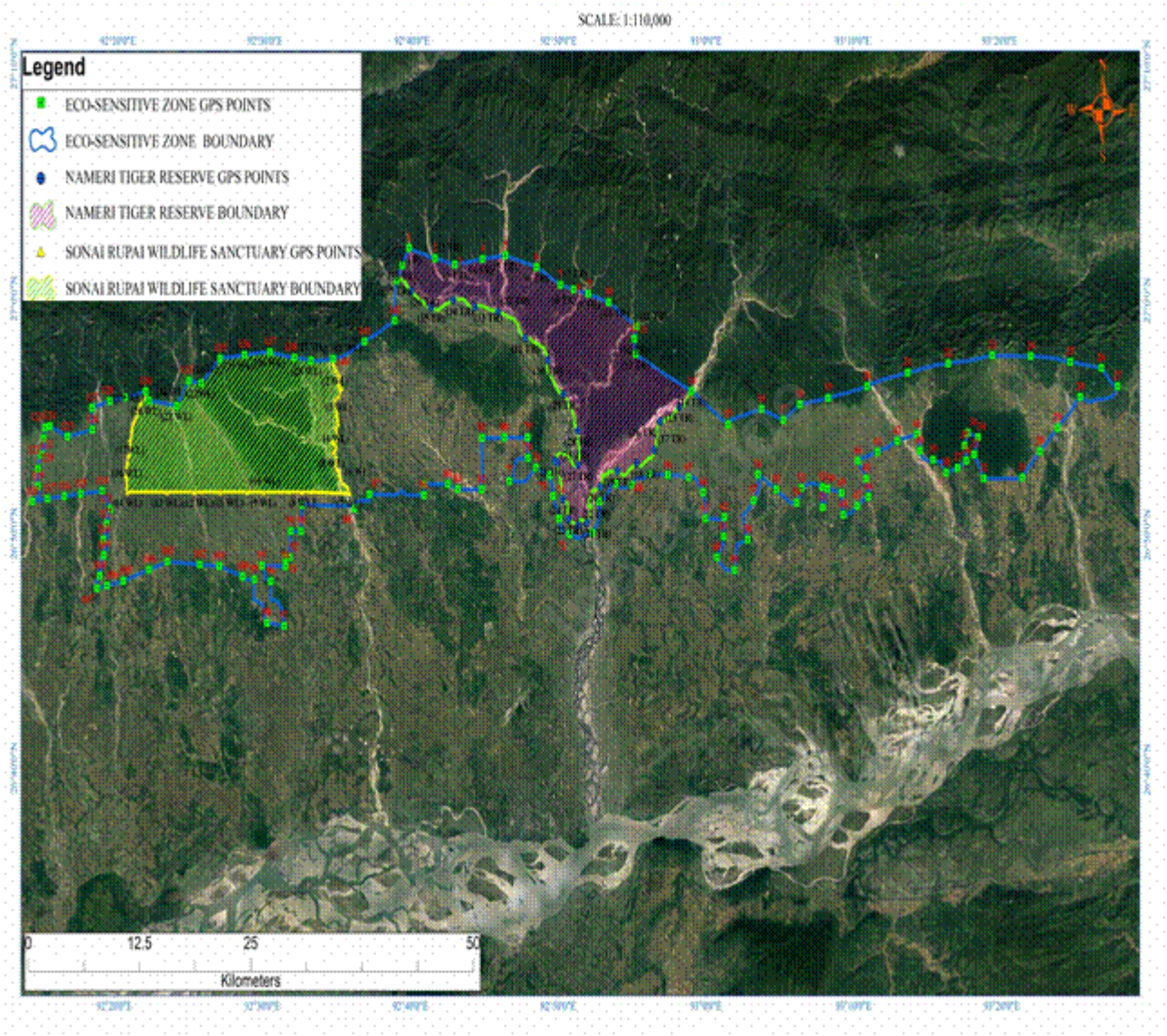
जी.पी.एस. बिंदु सं. 87 (92° 37' 10.058" पू, 26° 51' 45.111" उ) से मिलती है। जी.पी.एस. बिंदु सं. 87 से, सीमा जी.पी.एस. बिंदु सं. 88 को पार करके सोनाई-रूपाई वन्यजीव सीमा के दक्षिणी सीमा से 1 (एक) किलोमीटर बफर के साथ जाती है और जी.पी.एस. बिंदु सं 89 (92° 32' 34.049" पू, 26° 51' 17.806" उ) से मिलती है। जी.पी.एस. बिंदु सं. 89 से, सीमा चारीदौर आर एफ की दक्षिणी सीमा के साथ जी.पी.एस. बिंदु सं 90 से 98 के साथ जाती है और रेलवे लाइन पर जी.पी.एस.बिंदु सं.99 (92° 29' 22.379" पू 26° 48' 5.680" उ) से मिलती है। जी.पी.एस.बिंदु सं.99 से, सीमा जी.पी.एस. बिंदु सं.100 से 106 को पार करके रेलवे लाइन के साथ जाती है और मैनाजुली नदी के दाएं तट पर जी.पी.एस. बिंदु सं 107 (92° 18' 42.874" पू, 26° 47' 41.114" उ) से मिलती है।

पश्चिम: जी.पी.एस. बिंदु सं.107 (मैनाजुली नदी के दाएं तट) से, सीमा जी.पी.एस. बिंदु सं.108 से 113 को पार करके मैनाजुली नदी के दाएं तट के साथ उत्तर की ओर जाती है और शेवता आर एफ की सीमा पर जी.पी.एस. बिंदु सं.114 (92° 19' 1.653" पू, 26° 51' 49.565" उ) से मिलती है जी.पी.एस. बिंदु सं.114 से, सीमा जी.पी.एस. बिंदु सं.115 से 117 को पार करके शेवता आर एफ दक्षिणी सीमा के साथ पश्चिम की ओर जाती है और शेवता नदी के बाएं तट पर जी.पी.एस. बिंदु सं. 118 (92° 14' 18.087" पू, 26° 51' 21.401" उ) से मिलती है। जी.पी.एस. बिंदु सं 118 से सीमा जी.पी.एस.119 से 122 को पार करके शेवता नदी के बाएं तट के साथ जाती है और असम – अरूणाचल प्रदेश सीमा पर जी.पी.एस.123 (92° 15' 9.080" पू, 26° 54' 30.674" उ) से मिलती है।

उत्तर: जी.पी.एस. बिंदु सं.123 से, सीमा जी.पी.एस. बिंदु सं. 124 से 139 को पार करके असम –अरूणाचल प्रदेश अंतर-राज्य सीमा के साथ पूर्व की ओर जाती है और जी.पी.एस. बिंदु सं 140 (92° 34' 40.798" पू, 26° 57' 31.909" उ)से मिलती है। जी.पी.एस. बिंदु सं.140 से, सीमा जी.पी.एस. बिंदु सं. 141 से 144 को पार करके असम-अरूणाचल प्रदेश अंतर-राज्य सीमा के साथ-साथ बलीपारा आर एफ सीमा के साथ जाती है और जी.पी.एस. बिंदु सं. 1 (92° 39' 49.154" पू, 27° 2' 15.953" उ) से मिलती है।

उपाबंध-IIक

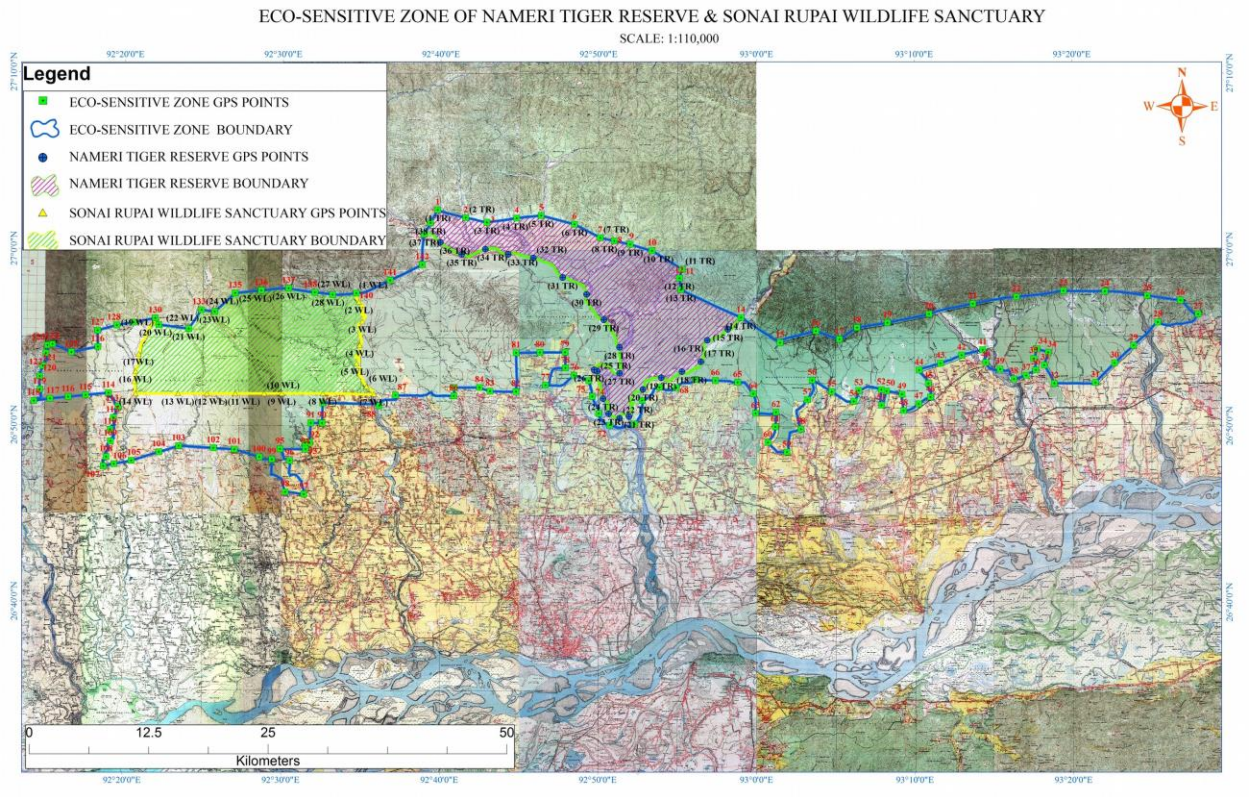
मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ नमेरी राष्ट्रीय उद्यान और सोनाई-रूपाई वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र



उपाबंध-IIख

भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ नमेरी राष्ट्रीय उद्यान और सोनाई-रूपाई वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

भूमि का संक्षिप्त विवरण।



उपाबंध-III

सारणी क: नमेरी राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

भू- निर्देशांक बिंदु	देशांतर	अक्षांश
(1 टी आर)	92° 39' 49.154" पू	27° 2' 15.953" उ
(2टी आर)	92° 41' 35.715" पू	27° 1' 49.628" उ
(3 टी आर)	92° 42' 55.925" पू	27° 1' 34.120" उ
(4 टी आर)	92° 44' 49.016" पू	27° 1' 48.286" उ
(5टी आर)	92° 46' 21.957" पू	27° 1' 57.353" उ
(6 टी आर)	92° 48' 28.721" पू	27° 1' 27.857" उ
(7 टी आर)	92° 50' 6.506" पू	27° 0' 42.237" उ
(8 टी आर)	92° 51' 0.280" पू	27° 0' 31.570" उ
(9टी आर)	92° 52' 0.484" पू	27° 0' 19.633" उ
(10 टी आर)	92° 53' 23.087" पू	26° 59' 57.870" उ
(11 टी आर)	92° 55' 17.902" पू	26° 58' 55.534" उ
(12 टी आर)	92° 55' 7.269" पू	26° 58' 25.257" उ
(13 टी आर)	92° 55' 12.864" पू	26° 57' 45.443" उ
(14 टी आर)	92° 59' 1.640" पू	26° 56' 10.994" उ
(15 टी आर)	92° 58' 11.504" पू	26° 55' 31.225" उ

(16 टी आर)	92° 56' 53.025" पू	26° 54' 53.892" उ
(17 टी आर)	92° 56' 28.866" पू	26° 53' 40.887" उ
(18 टी आर)	92° 55' 17.356" पू	26° 53' 7.147" उ
(19 टी आर)	92° 53' 58.941" पू	26° 52' 46.436" उ
(20 टी आर)	92° 52' 49.182" पू	26° 52' 6.686" उ
(21 टी आर)	92° 51' 55.914" पू	26° 50' 34.612" उ
(22 टी आर)	92° 51' 20.264" पू	26° 50' 28.418" उ
(23 टी आर)	92° 50' 39.049" पू	26° 50' 43.275" उ
(24 टी आर)	92° 50' 18.551" पू	26° 51' 34.720" उ
(25 टी आर)	92° 49' 56.088" पू	26° 53' 8.109" उ
(26 टी आर)	92° 49' 44.339" पू	26° 53' 12.665" उ
(27 टी आर)	92° 51' 20.568" पू	26° 53' 1.249" उ
(28 टी आर)	92° 51' 19.902" पू	26° 54' 29.807" उ
(29 टी आर)	92° 50' 20.268" पू	26° 56' 3.044" उ
(30 टी आर)	92° 49' 15.240" पू	26° 57' 29.786" उ
(31 टी आर)	92° 47' 44.238" पू	26° 58' 26.780" उ
(32 टी आर)	92° 45' 52.360" पू	26° 59' 33.325" उ
(33 टी आर)	92° 44' 17.479" पू	26° 59' 45.602" उ
(34 टी आर)	92° 42' 50.366" पू	27° 0' 2.433" उ
(35 टी आर)	92° 41' 20.420" पू	26° 59' 44.703" उ
(36 टी आर)	92° 39' 59.132" पू	27° 0' 25.217" उ
(37 टी आर)	92° 38' 57.725" पू	27° 0' 52.845" उ
(38 टी आर)	92° 39' 21.748" पू	27° 1' 31.554" उ

सारणी ख: सोनाई-रूपाई वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

भू- निर्देशांक बिंदु	देशांतर	अक्षांश
(1 डब्ल्यू एल)	92° 34' 40.798" पू	26° 57' 31.909" उ
(2 डब्ल्यू एल)	92° 34' 50.419" पू	26° 57' 2.264" उ
(3 डब्ल्यू एल)	92° 35' 3.761" पू	26° 55' 56.000" उ
(4 डब्ल्यू एल)	92° 34' 53.983" पू	26° 54' 35.779" उ
(5 डब्ल्यू एल)	92° 34' 42.179" पू	26° 53' 32.621" उ
(6 डब्ल्यू एल)	92° 35' 19.916" पू	26° 52' 14.131" उ
(7 डब्ल्यू एल)	92° 35' 48.746" पू	26° 51' 48.559" उ
(8 डब्ल्यू एल)	92° 32' 34.612" पू	26° 51' 50.656" उ
(9 डब्ल्यू एल)	92° 29' 58.715" पू	26° 51' 50.128" उ
(10 डब्ल्यू एल)	92° 28' 52.439" पू	26° 51' 49.890" उ
(11 डब्ल्यू एल)	92° 27' 2.748" पू	26° 51' 49.475" उ
(12 डब्ल्यू एल)	92° 25' 14.975" पू	26° 51' 49.045" उ

(13 डब्ल्यू एल)	92° 23' 25.668" पू	26° 51' 48.586" उ
(14 डब्ल्यू एल)	92° 20' 44.211" पू	26° 51' 47.864" उ
(15 डब्ल्यू एल)	92° 20' 38.600" पू	26° 52' 29.817" उ
(16 डब्ल्यू एल)	92° 20' 43.533" पू	26° 53' 3.981" उ
(17 डब्ल्यू एल)	92° 20' 54.558" पू	26° 54' 3.110" उ
(18 डब्ल्यू एल)	92° 21' 22.262" पू	26° 55' 13.582" उ
(19 डब्ल्यू एल)	92° 22' 2.756" पू	26° 55' 56.127" उ
(20 डब्ल्यू एल)	92° 22' 11.213" पू	26° 55' 42.819" उ
(21 डब्ल्यू एल)	92° 24' 4.879" पू	26° 55' 28.867" उ
(22 डब्ल्यू एल)	92° 24' 53.185" पू	26° 56' 33.566" उ
(23 डब्ल्यू एल)	92° 25' 43.015" पू	26° 56' 27.579" उ
(24 डब्ल्यू एल)	92° 27' 0.331" पू	26° 57' 30.921" उ
(25 डब्ल्यू एल)	92° 28' 39.751" पू	26° 57' 40.101" उ
(26 डब्ल्यू एल)	92° 30' 23.610" पू	26° 57' 47.840" उ
(27 डब्ल्यू एल)	92° 32' 2.946" पू	26° 57' 34.234" उ
(28 डब्ल्यू एल)	92° 33' 10.992" पू	26° 57' 27.092" उ

सारणी ग: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

जी.पी.एस बिंदु	देशांतर	अक्षांश	जी.पी.एस बिंदु	देशांतर	अक्षांश
1	92° 39' 49.154" पू	27° 2' 15.953" उ	72	92° 50' 44.221" पू	26° 50' 4.333" उ
2	92° 41' 35.715" पू	27° 1' 49.628" उ	73	92° 50' 1.648" पू	26° 50' 44.610" उ
3	92° 42' 55.925" पू	27° 1' 34.120" उ	74	92° 49' 37.352" पू	26° 51' 42.766" उ
4	92° 44' 49.016" पू	27° 1' 48.286" उ	75	92° 49' 23.179" पू	26° 52' 35.601" उ
5	92° 46' 21.957" पू	27° 1' 57.353" उ	76	92° 48' 27.124" पू	26° 52' 54.562" उ
6	92° 48' 28.721" पू	27° 1' 27.857" उ	77	92° 46' 39.113" पू	26° 52' 20.653" उ
7	92° 50' 6.506" पू	27° 0' 42.237" उ	78	92° 47' 55.219" पू	26° 53' 19.231" उ
8	92° 51' 0.280" पू	27° 0' 31.570" उ	79	92° 47' 53.496" पू	26° 54' 12.823" उ
9	92° 52' 0.484" पू	27° 0' 19.633" उ	80	92° 46' 18.361" पू	26° 54' 11.594" उ
10	92° 53' 23.087" पू	26° 59' 57.870" उ	81	92° 44' 47.504" पू	26° 54' 10.603" उ
11	92° 55' 17.902" पू	26° 58' 55.534" उ	82	92° 44' 47.698" पू	26° 51' 58.391" उ
12	92° 55' 7.269" पू	26° 58' 25.257" उ	83	92° 43' 9.033" पू	26° 51' 59.473" उ
13	92° 55' 12.864" पू	26° 57' 45.443" उ	84	92° 42' 29.057" पू	26° 52' 11.991" उ
14	92° 59' 1.640" पू	26° 56' 10.994" उ	85	92° 40' 52.882" पू	26° 52' 11.747" उ
15	93° 1' 30.098" पू	26° 54' 45.891" उ	86	92° 40' 52.129" पू	26° 51' 43.535" उ
16	93° 3' 45.500" पू	26° 55' 25.402" उ	87	92° 37' 10.058" पू	26° 51' 45.111" उ
17	93° 5' 14.701" पू	26° 54' 57.338" उ	88	92° 36' 9.157" पू	26° 51' 9.464" उ
18	93° 6' 22.041" पू	26° 55' 36.949" उ	89	92° 32' 34.049" पू	26° 51' 17.806" उ
19	93° 8' 17.365" पू	26° 55' 53.533" उ	90	92° 32' 32.105" पू	26° 50' 9.993" उ

IndiaCode

20	93° 10' 55.495" पू	26° 56' 23.111" उ	91	92° 31' 49.322" पू	26° 50' 9.764" उ
21	93° 13' 41.799" पू	26° 56' 57.528" उ	92	92° 31' 44.787" पू	26° 49' 3.334" उ
22	93° 16' 27.214" पू	26° 57' 21.347" उ	93	92° 31' 28.017" पू	26° 49' 2.036" उ
23	93° 19' 25.793" पू	26° 57' 41.061" उ	94	92° 31' 29.215" पू	26° 48' 40.807" उ
24	93° 22' 3.520" पू	26° 57' 39.062" उ	95	92° 29' 53.125" पू	26° 48' 41.151" उ
25	93° 24' 44.175" पू	26° 57' 23.558" उ	96	92° 30' 29.853" पू	26° 48' 2.151" उ
26	93° 26' 50.328" पू	26° 57' 8.210" उ	97	92° 31' 23.773" पू	26° 46' 7.506" उ
27	93° 27' 56.595" पू	26° 56' 20.523" उ	98	92° 30' 12.927" पू	26° 46' 15.068" उ
28	93° 25' 23.939" पू	26° 55' 53.734" उ	99	92° 29' 22.379" पू	26° 48' 5.680" उ
29	93° 23' 51.277" पू	26° 54' 34.508" उ	100	92° 28' 34.258" पू	26° 48' 13.748" उ
30	93° 22' 39.595" पू	26° 53' 35.213" उ	101	92° 26' 59.332" पू	26° 48' 39.520" उ
31	93° 21' 26.237" पू	26° 52' 28.625" उ	102	92° 25' 39.973" पू	26° 48' 43.685" उ
32	93° 18' 50.732" पू	26° 52' 26.837" उ	103	92° 23' 28.653" पू	26° 48' 50.491" उ
33	93° 18' 12.425" पू	26° 53' 28.633" उ	104	92° 22' 13.426" पू	26° 48' 29.421" उ
34	93° 18' 27.711" पू	26° 54' 11.686" उ	105	92° 20' 28.223" पू	26° 48' 0.080" उ
34	93° 17' 45.189" पू	26° 54' 23.483" उ	106	92° 19' 23.065" पू	26° 47' 48.263" उ
35	93° 17' 32.171" पू	26° 53' 50.761" उ	107	92° 18' 42.874" पू	26° 47' 41.114" उ
36	93° 17' 40.352" पू	26° 53' 12.280" उ	108	92° 18' 53.499" पू	26° 48' 12.573" उ
37	93° 17' 3.653" पू	26° 52' 53.283" उ	109	92° 19' 9.714" पू	26° 49' 5.955" उ
38	93° 16' 17.398" पू	26° 52' 41.258" उ	110	92° 19' 8.533" पू	26° 49' 45.891" उ
39	93° 15' 24.914" पू	26° 53' 14.568" उ	112	92° 19' 20.071" पू	26° 50' 25.737" उ
40	93° 14' 30.776" पू	26° 53' 37.632" उ	113	92° 19' 38.001" पू	26° 51' 4.176" उ
41	93° 14' 18.285" पू	26° 54' 20.719" उ	114	92° 19' 1.653" पू	26° 51' 49.565" उ
42	93° 12' 58.573" पू	26° 54' 2.828" उ	115	92° 17' 34.309" पू	26° 51' 42.206" उ
43	93° 11' 38.213" पू	26° 53' 35.335" उ	116	92° 16' 28.588" पू	26° 51' 35.655" उ
44	93° 10' 17.214" पू	26° 53' 12.213" उ	117	92° 15' 19.142" पू	26° 51' 29.139" उ
45	93° 10' 52.638" पू	26° 52' 27.087" उ	118	92° 14' 18.087" पू	26° 51' 21.401" उ
46	93° 11' 0.518" पू	26° 51' 40.655" उ	119	92° 14' 40.142" पू	26° 52' 0.849" उ
47	93° 10' 16.076" पू	26° 51' 17.469" उ	120	92° 14' 40.420" पू	26° 52' 45.654" उ
48	93° 9' 18.252" पू	26° 50' 54.381" उ	121	92° 14' 52.027" पू	26° 53' 21.361" उ
49	93° 9' 12.641" पू	26° 51' 49.741" उ	122	92° 15' 2.735" पू	26° 54' 3.457" उ
50	93° 8' 13.503" पू	26° 52' 0.708" उ	123	92° 15' 9.080" पू	26° 54' 30.674" उ
51	93° 7' 54.671" पू	26° 51' 13.087" उ	124	92° 15' 27.562" पू	26° 54' 34.899" उ
52	93° 7' 54.212" पू	26° 52' 5.785" उ	125	92° 16' 40.155" पू	26° 54' 8.015" उ
53	93° 6' 28.115" पू	26° 52' 3.137" उ	126	92° 18' 20.083" पू	26° 54' 26.403" उ
54	93° 6' 9.534" पू	26° 51' 25.647" उ	127	92° 18' 18.686" पू	26° 55' 22.293" उ
55	93° 4' 45.882" पू	26° 51' 58.628" उ	128	92° 19' 31.875" पू	26° 55' 39.847" उ
56	93° 3' 31.706" पू	26° 52' 38.216" उ	129	92° 20' 35.209" पू	26° 55' 50.149" उ
57	93° 3' 13.090" पू	26° 51' 31.660" उ	130	92° 21' 57.372" पू	26° 56' 4.600" उ
58	93° 2' 48.903" पू	26° 49' 51.745" उ	131	92° 22' 11.213" पू	26° 55' 42.819" उ

indiac.org

59	93° 1' 55.611" पू	26° 48' 33.455" उ	132	92° 24' 4.879" पू	26° 55' 28.867" उ
60	93° 0' 43.549" पू	26° 49' 6.337" उ	133	92° 24' 53.185" पू	26° 56' 33.566" उ
61	93° 1' 11.899" पू	26° 49' 59.204" उ	134	92° 25' 43.015" पू	26° 56' 27.579" उ
62	93° 1' 14.194" पू	26° 50' 48.893" उ	135	92° 27' 0.331" पू	26° 57' 30.921" उ
63	92° 59' 56.858" पू	26° 50' 45.761" उ	136	92° 28' 39.751" पू	26° 57' 40.101" उ
64	92° 59' 47.962" पू	26° 51' 52.367" उ	137	92° 30' 23.610" पू	26° 57' 47.840" उ
65	92° 58' 48.581" पू	26° 52' 30.678" उ	138	92° 32' 2.946" पू	26° 57' 34.234" उ
66	92° 57' 23.881" पू	26° 52' 36.799" उ	139	92° 33' 10.992" पू	26° 57' 27.092" उ
67	92° 56' 8.272" पू	26° 52' 40.176" उ	140	92° 34' 40.798" पू	26° 57' 31.909" उ
68	92° 54' 56.050" पू	26° 52' 12.631" उ	141	92° 36' 48.937" पू	26° 58' 16.140" उ
69	92° 53' 52.332" पू	26° 52' 13.659" उ	142	92° 38' 50.799" पू	26° 59' 9.636" उ
70	92° 52' 46.013" पू	26° 51' 29.044" उ	143	92° 38' 57.725" पू	27° 0' 52.845" उ
71	92° 52' 17.980" पू	26° 50' 8.831" उ	144	92° 39' 21.748" पू	27° 1' 31.554" उ

उपाबंध-IV

सारणी क. भू-निर्देशांकों के साथ नमेरी राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

(सूची अनंतिम और अपूर्ण है)

क्र.सं	नाम	देशांतर	अक्षांश
1	छोटाईगांव	92°47’44.91”	26° 57’34.73”
2	छोटाईगांव(मिरीलबस्ती)	92°48’31.81”	26° 56’51.08”
3	पोटासाल्ल	92°49’29.61”	26° 55’22.99”
4	गमानी	92°48’25.23”	26° 55’36.26”
5	नतुन धारीकटी	92°49’31.86”	26° 54’53.71”
6	अरालीलागा	92°47’42.14”	26° 54’22.27”
7	सोपालोगा	92°47’44.57”	26° 54’45.88”
8	सेन्गेलीमरी	92°47’21.55”	26° 53’27.56”
9	धारीकाटी	92°49’39.99”	26° 53’16.76”
10	उत्तर बलीजुरी	92°57’35.35”	26° 51’26.31”
11	तेजालपट्टी	92°58’51.32”	26° 52’5.219”
12	मिरिगांव	92°56’5.113”	26° 52’45.12”

सारणी ख: भू-निर्देशांकों के साथ सोनाई-रूपाई वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

(सूची अनंतिम और अपूर्ण है)

क्र.सं	नाम	देशांतर	अक्षांश
1.	कछारीगांव	92º37'23.87" पू	26º53'30.21" उ
2.	लोतरा	92º37'44.41" पू	26º51'53.34" उ
3.	जिअहाभारू	92º35'32.80" पू	26º51'25.52" उ

IndiaCode

4.	रीकमारी	92°34'33.65" पू	26°51'18.05" उ
5.	कालामारी	92°32'52.00" पू	26°51'44.73" उ
6.	भाईगनजुली	92°33'11.40" पू	26°51'26.58" उ
7.	दीघालीजुली	92°33'56.28" पू	26°51'19.45" उ
8.	रामनाथपुर	92°31'20.23" पू	26°49'15.23" उ
9.	भेरबेरी	92°34'39.64" पू	26°50'11.49" उ
10.	जिन्गाबिल	92°19'50.31" पू	26°51'29.67" उ
11.	देओनसानी	92°20'23.22" पू	26°51'14.40" उ
12.	जग्गापुर	92°19'35.95" पू	26°50'24.68" उ
13.	लोकम्पुर	92°19'36.14" पू	26°49'39.54" उ
14.	भोतापारा	92°20'59.16" पू	26°49'11.03" उ
15.	चापई रउमार	92°22'16.57" पू	26°49'20.19" उ
16.	झारगांव	92°22'48.81" पू	26°49'13.32" उ

उपाबंध-V

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का रूप विधान.-

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें) ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार)। विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें) ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें) ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2020

S.O. 3881(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 653 (E), dated the 31st January, 2019, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 4th February, 2019;

AND WHEREAS, objections and suggestions received from persons and stakeholders in response to the aforesaid draft notification were duly considered by the Central Government;

AND WHEREAS, Nameri National Park and Sonai-Rupai Wildlife Sanctuary located in Sonitpur District of Assam; whereas Nameri National Park was declared as Nameri Tiger Reserve in the year 2000 *vide* Government of Assam Notification No. FRW-95/99/70, dated the 1st March, 2000, with a core area comprising of 200 square kilometers of Nameri National Park (notified in 1998 vide notification No. No. FRW-II/96/81 dated the 13th August, 1998) as core area and a buffer area on east and west of the core having an area of 144 square kilometers, making the total area of the Tiger Reserve 344 square kilometers and Sonai-Rupai Wildlife Santuary (notified in 1998 vide Notification No. FRW-33/98/11, dated the 4th September, 1998 with an area of 220 square kilometers was declared as Satellite Core of Nameri Tiger Reserve *vide* Government of Assam Notification No. FRM.236/2014/23, dated the 18th June, 2015 comprising of 120 square kilometers out of 220 square kilometers of the Sonai-Rupai Wildlife Sanctuary; both the Protected Areas are contiguous with the boundary and forested areas of Arunachal Pradesh with high biodiversity value;

AND WHEREAS, both the Protected Areas are situated at the foothills of Eastern Himalaya comprising area of 200 square kilometers of Nameri National Park and 220 square kilometers of Sonai-Rupai Wildlife Sanctuary which needs secure corridor for Elephant population as well as needs proper biomass for the tiger population;

AND WHEREAS, the Nameri National Park and Sonai-Rupai Wildlife Sanctuary belongs to the North East Brahmaputra Valley Bio-geographic Province (9A) of North East India Bio-geographic Zone and contains Assam Valley Tropical Evergreen Forests, Sub Himalayan Light Alluvial Semi-Evergreen Forests, Eastern Alluvial Secondary Semi Evergreen Forests, Cane Brakes, Low Alluvial Savanna Woodland, Eastern Hollock Forests, Eastern Seasonal Swamp Forests, Eastern Dillenia Swamp Forests and Eastern Alluvial Grassland; and

AND WHEREARS, major tree species of the Protected Areas are *Lagerstroemia flos-regina, Mangifera sylvatica, Emblica officinalis, Spondius mangifera, Drimycarpus reamosus, Mansonia dipikae, Dysoxylum binectiferum, Crataeva religiosa, Terminalia belerica, Semicarpus anacardium, Oroxylum indicum, Trewia nudiflora, Tetramatis nudiflora, Chikrassia tabularis, Morus lavigata, Cryptocaria amydalima, Talauma hodgsonii, Ailanthus grandis, Phoebe goalparensis, Pterosprmum acrifolium, Dillenia pentagyna, Michelia Champaca, Cynocardia odorata, Gmelina arborea, Premna bengalensis, Nyssa sessiliflora, Melia azadiract, Euginia eperculata, Pterospermum acerifolium, Adina cordifolia, Terminalia chebula, Castanopsis spp, Litsia polyanthia, Terminalia myrocarpa, Cedrala toona, Geruga pinnata, Anthocephalus cadamba, Bauhinia purpurea, Michelia oblonga, Machilus globosa, Polyanthia jenkinsii, Duabanga sonneratioides, Albizzia odoratissima, Bridelia retusa, Erythrina spp, Evodia meliaefolia, Schima wallichii, Mesua ferrea, Dillenia indica, Kydia calycina, Michelia montana, Alstonia scholoris, Lagerstroemia parviflora, Cassia fistula, Sapium Baccatum, Bischofia javanica;* while shrubs and grasses of the Protected Areas are *Clerodendron siphonanthus, Morinda angustifolia, Leca acuminata, Alpinia molloucinensis, Adhatoda vasica, Coffia bengalensis, Clerodendron infortunatium, Wrightia tomentosa, Phyrium parviflora, Saccharum spontaneum, Neyrandia reynandiana, Typha elephantina, Arundo donax, Dalhonsis bracteata, Melostoma malabaricum, Phlogocanthus thysiflorus, Themi caudata* and *Alpinia alughas* and *Calamus latifolius, Calamus floribundus, Calamus flagellum, Dorris oblonga, Derris eliptica, Spatholobus roxburghii, Vitis latiflora, Tinospora cardifolia, Milletia condata, Dalbergia rimosa,* etc are canes and climbers found in the Protected Areas;

AND WHEREAS, the Nameri National Park and Sonai-Rupai Wildlife Sanctuary are home to eight globally threatened species, eleven threatened species and five near threatened species; and the Protected Areas besides supporting large diversity of resident and migrant avian population such as Ibis bill, Pallas's fishing eagle, slender billed vulture, Himalayan Griffon vulture, great hornbill, ruddy Shelduck, Margenger; and major mammal species of the Protected Areas are elephant *Elephus maximus,* tiger *Panthera tigris,* leopard *Panthera pardus,* clouded leopard *Neofelis nebulosa,* wild dog *Cuon alpinus,* black bear *Ursus thibetanus,* sloth bear *Melursus ursinus,* pigmy hog *Porcula salvania (Re*-Introduced), gaur *Bos gaurus,* samber *Rusa unicolor,* capped langur *Trachypithecus pileatus,* goldan cat *Catopuma temmincki,* Binturong *Arctictis binturong,* large civet *Viverra zibetha,* Indian pangolin *Manis crassicaudata,* Assamese Macaque *Macaca assamensis,* etc; and the Protected Areas has immense research, recreational and educational values;

AND WHEREAS, the increasing human population surrounding the Protected Areas is likely to have an adverse impact on the habitat, animals, birds and fishes of the Protected Areas in the long run;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1, around the Protected Area of Nameri National Park and Sonai-Rupai Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0 (zero) to 48 kilometres

around the boundary of Nameri National Park and Sonai-Rupai Wildlife Sanctuary, in Sonitpur and Udalguri Districts in the State of Assam as the Nameri National Park and Sonai-Rupai Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. –** (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 0 (zero) to 48 kilometres around the boundary of Nameri National Park and Sonai-Rupai Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is 1338.62 square kilometres; zero extent is on the side of the Arunachal Pradesh border where Reserved Forest areas of the State and especially the Pakke Tiger Reserve are adjoining.

 (2) The boundary description of Nameri National Park and Sonai-Rupai Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I.**

 (3) The maps of the Nameri National Park and Sonai-Rupai Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA** and **Annexure-IIB.**

 (4) Lists of geo-coordinates of the boundary of Nameri National Park and Sonai-Rupai Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table **A,** Table **B** and Table **C** of **Annexure-III.**

 (5) The list of villages falling in the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as Table **A** and Table **B** of **Annexure-IV.**

2. **Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-**(1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority in the State.

 (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

 (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
 (i) Environment;
 (ii) Forest and Wildlife;
 (iii) Agriculture;
 (iv) Revenue;
 (v) Urban Development;
 (vi) Tourism;
 (vii) Rural Development;
 (viii) Irrigation and Flood Control;
 (ix) Municipal;
 (x) Panchayati Raj;
 (xi) Assam State Pollution Control Board; and
 (xii) Public Works Department.

 (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

 (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

 (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, fishing areas, cattle rearing spots (khuti), lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

IndiaCode

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than those specified in clause (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as.-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with the State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

IndiaCode

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the Protected Area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the Protected Area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.- Disposal and management of Solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste.– Bio-Medical Waste Management shall be as under:-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within the Eco-sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries

		in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Setting up of new saw mills, veneer mills or other wood based industries.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
8.	Commercial use of firewood.	Prohibited.
9.	Use of polythene bags.	Prohibited.
B. Regulated Activities		
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
11.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent authority.
13.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior

		permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
14.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated as per the applicable laws.
15.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
16.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
21.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
22.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporates and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
23.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
24.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Open Well, Borewell, etc. for agriculture and other usages.	Regulated as per the applicable laws.
30.	Fishing in rivers and natural water bodies.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
31.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
32.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
33.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.

IndiaCode

34.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
35.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light, etc. shall be actively promoted.
36.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
37.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
38.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
39.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
40.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
41.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S. No.	Constituent of Monitoring Committee	Designation
(i)	Commissioner, Northern Assam Division, Tezpur	Chairman, ex officio;
(ii)	Conservator of Forests, Northern Assam Circle, Tezpur	Member;
(iii)	Deputy Commissioner (Sonitpur, Biswanath Chariali and Darrang)	Member;
(iv)	Divisional Forest Officer (Sonitpur East Division and Sonitpur West Division)	Member;
(v)	Regional Officer, Assam State Pollution Control Board	Member;
(vi)	District Industries General Manager (Sonitpur, Biswanath Chariali and Darrang)	Member;
(vii)	District Agriculture Officer (Sonitpur, Biswanath Chariali and Udalguri)	Member;
(viii)	Two external Environmental Expert or Non Governmental Organisation members to be nominated by the Government of Assam or a period of three years	Member;
(ix)	Divisional Forest Officer, Western Assam Wildlife Division	Member-Secretary.

MadhaCode

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under **paragraph 4** thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure V.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measures.- The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Orders of Supreme Court, etc.- The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/117/2015-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND NAMERI NATIONAL PARK AND SONAI-RUPAI WILDLIFE SANCTUARY IN THE STATE OF ASSAM

North: Nameri Tiger Reserve & Sonai-Rupai Wildlife Sanctuary Eco-Sensitive Zone boundary starts from GPS Point No. 1 (92° 39' 49.154" E & 27° 2' 15.953" N) which is located on Assam - Arunachal Pradesh Inter State boundary. From GPS Point No. 1 the ESZ boundary run along the Inter State boundary as well as Nameri Tiger reserved crossing GPS Point No. 2 to 14 and meets the GPS Point no 15 (93° 1' 30.098" E, 26° 54' 45.891" N). From GPS Point No. 15 the ESZ boundary run towards east along the Assam - Arunachal Pradesh Inter State Boundary crossing GPS Point No. 16 to 25 and meets GPS Point No. 26 (93° 26' 50.328" E, 26° 57' 8.210" N).

East: The Eastern boundary starts from GPS Point No. 26 the boundary towards south along the Sengelijan reserved forest boundary crossing GPS Point No. 27 and meets GPS Point No.28 (93° 25' 23.939" E, 26° 55' 53.734" N).

South: From the GPS Point No. 28 the boundary run towards west along the Sengelijan, Behali, Biswanath and Naduar reserved forest boundaries respectively crossing GPS Point No.29 to 66 and meets GPS Point No. 67 (92° 56' 8.272" E, 26° 52' 40.176" N). From GPS Point No. 67 the boundary runs at a buffer of 1 (one) km from the boundary of the Nameri National Park crossing GPS Point No. 68 to 75 and meets GPS Point No. 76 (92° 48' 27.124" E, 26° 52' 54.562" N). From GPS Point No. 76 the boundary runs along the Senglimari reserved forest boundary crossing GPS Point No. 77 and meets GPS Point No. 78 (92° 47' 55.219" E, 26° 53' 19.231" N). From GPS Point No. 78 the boundary runs along the Balipara and Charduar reserved forest boundaries crossing the GPS Point No. 79 to 86 and meets GPS Point No. 87 (92° 37' 10.058" E, 26° 51' 45.111" N). From GPS Point No. 87 the boundary runs along a buffer of 1 (one) km from the southern boundary of the Sonai Rupai Wildlife Sanctuary boundary crossing GPS Point No. 88 and meets GPS Point No. 89 (92° 32' 34.049" E, 26° 51' 17.806" N). From GPS Point No. 89 the boundary runs along the GPS Point No. 90 to 98 along the southern boundary of the Chariduar RF and meets GPS Point No. 99 (92° 29' 22.379" E 26° 48' 5.680" N) on the railway line. From GPS Point No. 99 the boundary run along the railway line crossing GPS Point No. 100 to 106 and meet GPS Point No. 107 (92° 18' 42.874" E, 26° 47' 41.114" N) on the right bank of Mainajuli river.

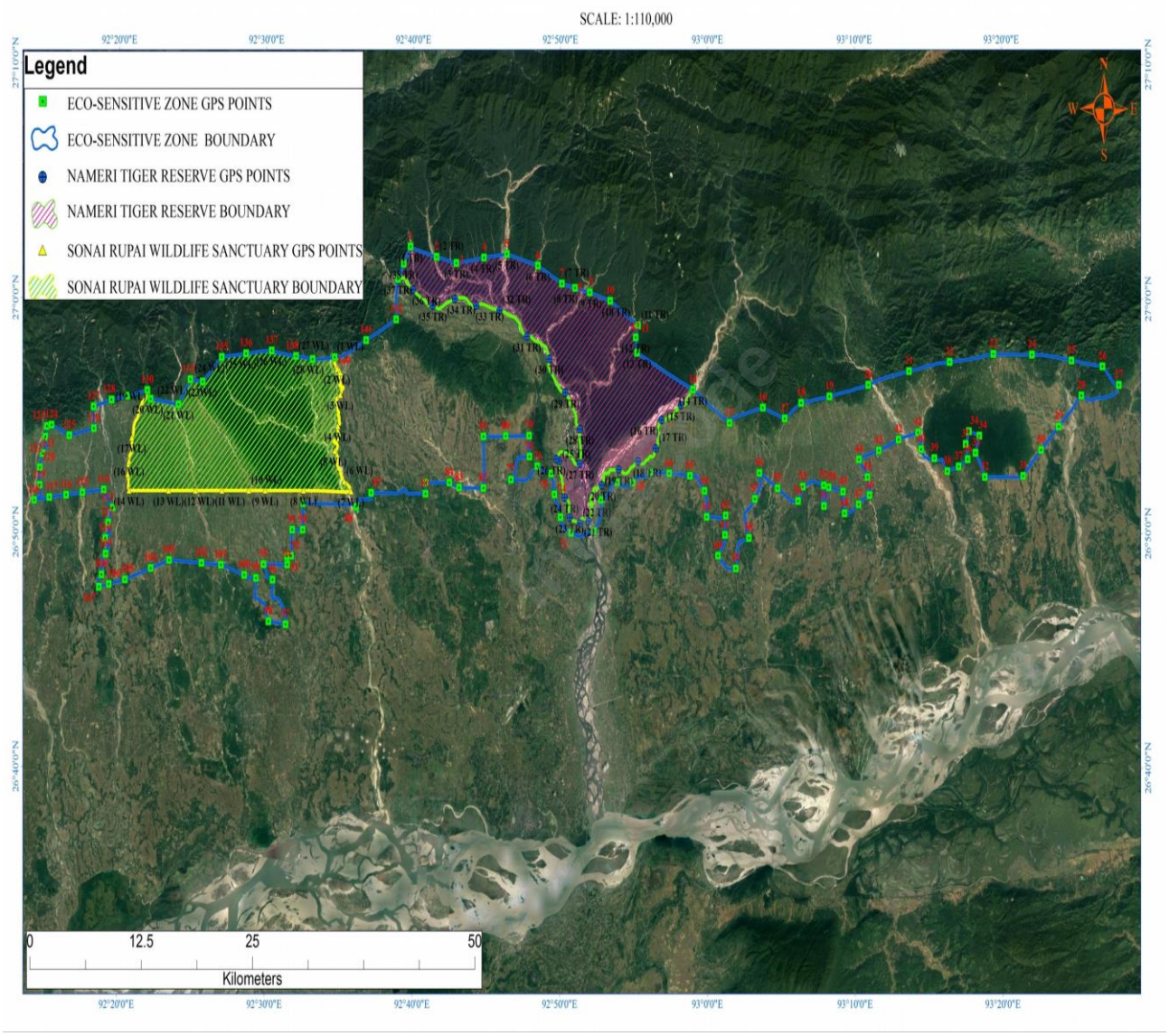
West: From GPS Point no 107 (right bank of Mainajuli River) the boundary runs towards north along the right bank of the Mainajuli River crossing GPS Point No. 108 to 113 and meets GPS point No.114 (92° 19' 1.653" E, 26° 51' 49.565" N) on the boundary of the Rowta RF. From GPS Point No. 114 the boundary runs towards west along the Rowta RF southern boundary crossing GPS Point No. 115 to 117 and meets GPS Point No. 118 (92° 14' 18.087" E, 26° 51' 21.401" N) on the left bank of the Rowta river. From the GPS Point No 118 the boundary run along the left bank of the Rowta River crossing GPS Point No. 119 to 122 and meets GPS Point No. 123 (92° 15' 9.080" E, 26° 54' 30.674" N) on the Assam Arunachal Pradesh boundary.

North: From GPS Point No. 123 the boundary runs towards east along the Assam Arunachal Pradesh Inter- state boundary crossing GPS Point No. 124 to 139 and meets GPS Point No. 140 (92° 34' 40.798" E, 26° 57' 31.909" N). From GPS Point No. 140 the boundary runs along the Balipara RF boundary as well as

Assam-Arunachal Pradesh Inter- State boundary crossing GPS Point No. 141 to 144 and meets GPS Point No.1 (92° 39' 49.154" E, 27° 2' 15.953" N).

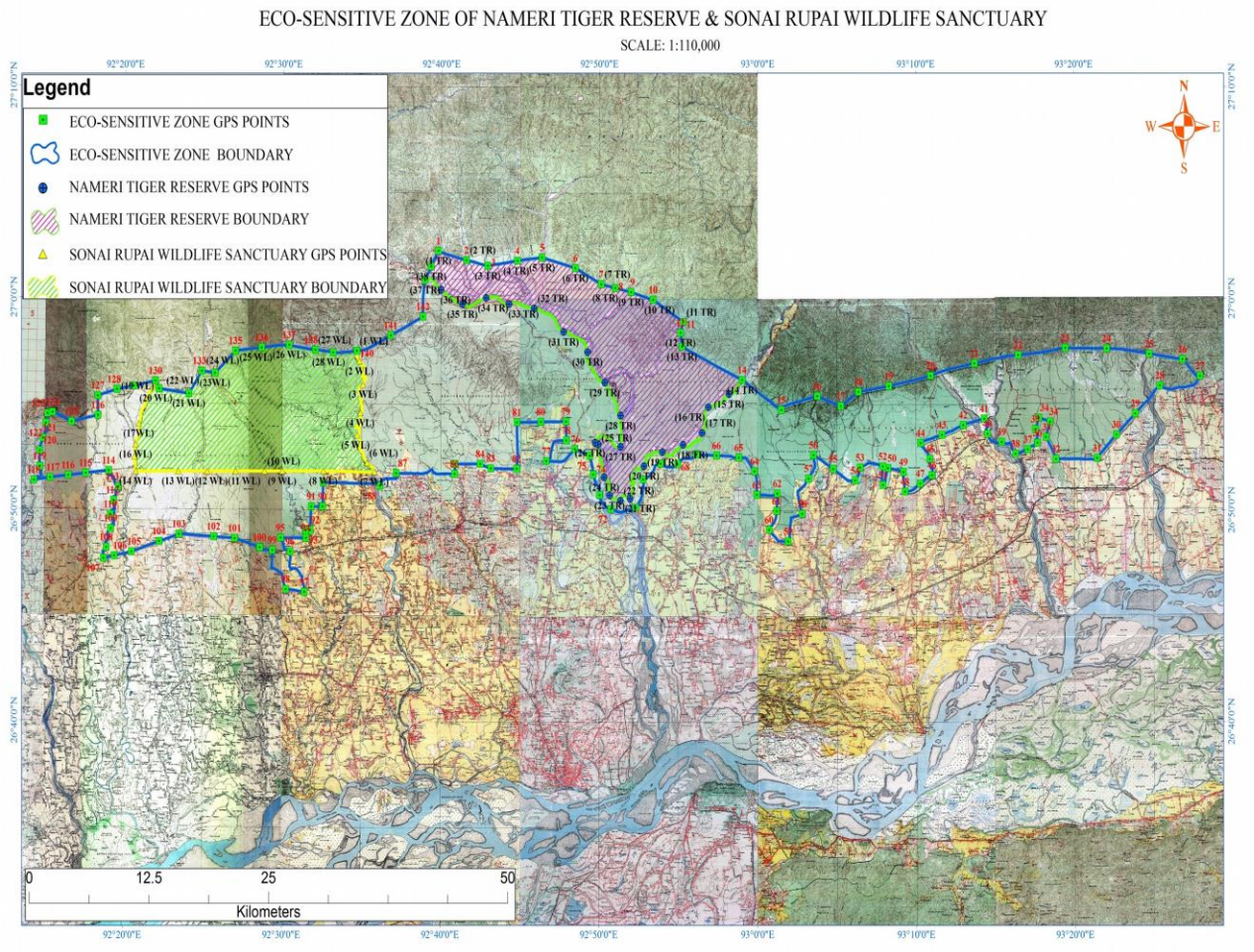
ANNEXURE- IIA

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF NAMERI NATIONAL PARK AND SONAI-RUPAI WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE- IIB

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF NAMERI NATIONAL PARK AND SONAI-RUPAI WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET



ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF NAMERI NATIONAL PARK

Geo- coordinate Points	Longitude	Latitude
(1 TR)	92° 39' 49.154" E	27° 2' 15.953" N
(2 TR)	92° 41' 35.715" E	27° 1' 49.628" N
(3 TR)	92° 42' 55.925" E	27° 1' 34.120" N
(4 TR)	92° 44' 49.016" E	27° 1' 48.286" N
(5 TR)	92° 46' 21.957" E	27° 1' 57.353" N
(6 TR)	92° 48' 28.721" E	27° 1' 27.857" N
(7 TR)	92° 50' 6.506" E	27° 0' 42.237" N
(8 TR)	92° 51' 0.280" E	27° 0' 31.570" N
(9 TR)	92° 52' 0.484" E	27° 0' 19.633" N
(10 TR)	92° 53' 23.087" E	26° 59' 57.870" N
(11 TR)	92° 55' 17.902" E	26° 58' 55.534" N
(12 TR)	92° 55' 7.269" E	26° 58' 25.257" N
(13 TR)	92° 55' 12.864" E	26° 57' 45.443" N
(14 TR)	92° 59' 1.640" E	26° 56' 10.994" N
(15 TR)	92° 58' 11.504" E	26° 55' 31.225" N
(16 TR)	92° 56' 53.025" E	26° 54' 53.892" N
(17 TR)	92° 56' 28.866" E	26° 53' 40.887" N
(18 TR)	92° 55' 17.356" E	26° 53' 7.147" N

(19 TR)	92° 53' 58.941" E	26° 52' 46.436" N
(20 TR)	92° 52' 49.182" E	26° 52' 6.686" N
(21 TR)	92° 51' 55.914" E	26° 50' 34.612" N
(22 TR)	92° 51' 20.264" E	26° 50' 28.418" N
(23 TR)	92° 50' 39.049" E	26° 50' 43.275" N
(24 TR)	92° 50' 18.551" E	26° 51' 34.720" N
(25 TR)	92° 49' 56.088" E	26° 53' 8.109" N
(26 TR)	92° 49' 44.339" E	26° 53' 12.665" N
(27 TR)	92° 51' 20.568" E	26° 53' 1.249" N
(28 TR)	92° 51' 19.902" E	26° 54' 29.807" N
(29 TR)	92° 50' 20.268" E	26° 56' 3.044" N
(30 TR)	92° 49' 15.240" E	26° 57' 29.786" N
(31 TR)	92° 47' 44.238" E	26° 58' 26.780" N
(32 TR)	92° 45' 52.360" E	26° 59' 33.325" N
(33 TR)	92° 44' 17.479" E	26° 59' 45.602" N
(34 TR)	92° 42' 50.366" E	27° 0' 2.433" N
(35 TR)	92° 41' 20.420" E	26° 59' 44.703" N
(36 TR)	92° 39' 59.132" E	27° 0' 25.217" N
(37 TR)	92° 38' 57.725" E	27° 0' 52.845" N
(38 TR)	92° 39' 21.748" E	27° 1' 31.554" N

TABLE B: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF SONAI-RUPAI WILDLIFE SANCTUARY

Geo- coordinate Points	Longitude	Latitude
(1 WL)	92° 34' 40.798" E	26° 57' 31.909" N
(2 WL)	92° 34' 50.419" E	26° 57' 2.264" N
(3 WL)	92° 35' 3.761" E	26° 55' 56.000" N
(4 WL)	92° 34' 53.983" E	26° 54' 35.779" N
(5 WL)	92° 34' 42.179" E	26° 53' 32.621" N
(6 WL)	92° 35' 19.916" E	26° 52' 14.131" N
(7 WL)	92° 35' 48.746" E	26° 51' 48.559" N
(8 WL)	92° 32' 34.612" E	26° 51' 50.656" N
(9 WL)	92° 29' 58.715" E	26° 51' 50.128" N
(10 WL)	92° 28' 52.439" E	26° 51' 49.890" N
(11 WL)	92° 27' 2.748" E	26° 51' 49.475" N
(12 WL)	92° 25' 14.975" E	26° 51' 49.045" N
(13 WL)	92° 23' 25.668" E	26° 51' 48.586" N
(14 WL)	92° 20' 44.211" E	26° 51' 47.864" N
(15 WL)	92° 20' 38.600" E	26° 52' 29.817" N
(16 WL)	92° 20' 43.533" E	26° 53' 3.981" N
(17WL)	92° 20' 54.558" E	26° 54' 3.110" N
(18 WL)	92° 21' 22.262" E	26° 55' 13.582" N
(19 WL)	92° 22' 2.756" E	26° 55' 56.127" N
(20 WL)	92° 22' 11.213" E	26° 55' 42.819" N
(21 WL)	92° 24' 4.879" E	26° 55' 28.867" N

(22 WL)	92° 24' 53.185" E	26° 56' 33.566" N
(23WL)	92° 25' 43.015" E	26° 56' 27.579" N
(24 WL)	92° 27' 0.331" E	26° 57' 30.921" N
(25 WL)	92° 28' 39.751" E	26° 57' 40.101" N
(26 WL)	92° 30' 23.610" E	26° 57' 47.840" N
(27 WL)	92° 32' 2.946" E	26° 57' 34.234" N
(28 WL)	92° 33' 10.992" E	26° 57' 27.092" N

TABLE C: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

GPS Points	Longitude	Latitude	GPS Points	Longitude	Latitude
1	92° 39' 49.154" E	27° 2' 15.953" N	72	92° 50' 44.221" E	26° 50' 4.333" N
2	92° 41' 35.715" E	27° 1' 49.628" N	73	92° 50' 1.648" E	26° 50' 44.610" N
3	92° 42' 55.925" E	27° 1' 34.120" N	74	92° 49' 37.352" E	26° 51' 42.766" N
4	92° 44' 49.016" E	27° 1' 48.286" N	75	92° 49' 23.179" E	26° 52' 35.601" N
5	92° 46' 21.957" E	27° 1' 57.353" N	76	92° 48' 27.124" E	26° 52' 54.562" N
6	92° 48' 28.721" E	27° 1' 27.857" N	77	92° 46' 39.113" E	26° 52' 20.653" N
7	92° 50' 6.506" E	27° 0' 42.237" N	78	92° 47' 55.219" E	26° 53' 19.231" N
8	92° 51' 0.280" E	27° 0' 31.570" N	79	92° 47' 53.496" E	26° 54' 12.823" N
9	92° 52' 0.484" E	27° 0' 19.633" N	80	92° 46' 18.361" E	26° 54' 11.594" N
10	92° 53' 23.087" E	26° 59' 57.870" N	81	92° 44' 47.504" E	26° 54' 10.603" N
11	92° 55' 17.902" E	26° 58' 55.534" N	82	92° 44' 47.698" E	26° 51' 58.391" N
12	92° 55' 7.269" E	26° 58' 25.257" N	83	92° 43' 9.033" E	26° 51' 59.473" N
13	92° 55' 12.864" E	26° 57' 45.443" N	84	92° 42' 29.057" E	26° 52' 11.991" N
14	92° 59' 1.640" E	26° 56' 10.994" N	85	92° 40' 52.882" E	26° 52' 11.747" N
15	93° 1' 30.098" E	26° 54' 45.891" N	86	92° 40' 52.129" E	26° 51' 43.535" N
16	93° 3' 45.500" E	26° 55' 25.402" N	87	92° 37' 10.058" E	26° 51' 45.111" N
17	93° 5' 14.701" E	26° 54' 57.338" N	88	92° 36' 9.157" E	26° 51' 9.464" N
18	93° 6' 22.041" E	26° 55' 36.949" N	89	92° 32' 34.049" E	26° 51' 17.806" N
19	93° 8' 17.365" E	26° 55' 53.533" N	90	92° 32' 32.105" E	26° 50' 9.993" N
20	93° 10' 55.495" E	26° 56' 23.111" N	91	92° 31' 49.322" E	26° 50' 9.764" N
21	93° 13' 41.799" E	26° 56' 57.528" N	92	92° 31' 44.787" E	26° 49' 3.334" N
22	93° 16' 27.214" E	26° 57' 21.347" N	93	92° 31' 28.017" E	26° 49' 2.036" N
23	93° 19' 25.793" E	26° 57' 41.061" N	94	92° 31' 29.215" E	26° 48' 40.807" N
24	93° 22' 3.520" E	26° 57' 39.062" N	95	92° 29' 53.125" E	26° 48' 41.151" N
25	93° 24' 44.175" E	26° 57' 23.558" N	96	92° 30' 29.853" E	26° 48' 2.151" N
26	93° 26' 50.328" E	26° 57' 8.210" N	97	92° 31' 23.773" E	26° 46' 7.506" N
27	93° 27' 56.595" E	26° 56' 20.523" N	98	92° 30' 12.927" E	26° 46' 15.068" N
28	93° 25' 23.939" E	26° 55' 53.734" N	99	92° 29' 22.379" E	26° 48' 5.680" N
29	93° 23' 51.277" E	26° 54' 34.508" N	100	92° 28' 34.258" E	26° 48' 13.748" N
30	93° 22' 39.595" E	26° 53' 35.213" N	101	92° 26' 59.332" E	26° 48' 39.520" N
31	93° 21' 26.237" E	26° 52' 28.625" N	102	92° 25' 39.973" E	26° 48' 43.685" N
32	93° 18' 50.732" E	26° 52' 26.837" N	103	92° 23' 28.653" E	26° 48' 50.491" N
33	93° 18' 12.425" E	26° 53' 28.633" N	104	92° 22' 13.426" E	26° 48' 29.421" N
34	93° 18' 27.711" E	26° 54' 11.686" N	105	92° 20' 28.223" E	26° 48' 0.080" N
34	93° 17' 45.189" E	26° 54' 23.483" N	106	92° 19' 23.065" E	26° 47' 48.263" N

35	93° 17' 32.171" E	26° 53' 50.761" N	107	92° 18' 42.874" E	26° 47' 41.114" N
36	93° 17' 40.352" E	26° 53' 12.280" N	108	92° 18' 53.499" E	26° 48' 12.573" N
37	93° 17' 3.653" E	26° 52' 53.283" N	109	92° 19' 9.714" E	26° 49' 5.955" N
38	93° 16' 17.398" E	26° 52' 41.258" N	110	92° 19' 8.533" E	26° 49' 45.891" N
39	93° 15' 24.914" E	26° 53' 14.568" N	112	92° 19' 20.071" E	26° 50' 25.737" N
40	93° 14' 30.776" E	26° 53' 37.632" N	113	92° 19' 38.001" E	26° 51' 4.176" N
41	93° 14' 18.285" E	26° 54' 20.719" N	114	92° 19' 1.653" E	26° 51' 49.565" N
42	93° 12' 58.573" E	26° 54' 2.828" N	115	92° 17' 34.309" E	26° 51' 42.206" N
43	93° 11' 38.213" E	26° 53' 35.335" N	116	92° 16' 28.588" E	26° 51' 35.655" N
44	93° 10' 17.214" E	26° 53' 12.213" N	117	92° 15' 19.142" E	26° 51' 29.139" N
45	93° 10' 52.638" E	26° 52' 27.087" N	118	92° 14' 18.087" E	26° 51' 21.401" N
46	93° 11' 0.518" E	26° 51' 40.655" N	119	92° 14' 40.142" E	26° 52' 0.849" N
47	93° 10' 16.076" E	26° 51' 17.469" N	120	92° 14' 40.420" E	26° 52' 45.654" N
48	93° 9' 18.252" E	26° 50' 54.381" N	121	92° 14' 52.027" E	26° 53' 21.361" N
49	93° 9' 12.641" E	26° 51' 49.741" N	122	92° 15' 2.735" E	26° 54' 3.457" N
50	93° 8' 13.503" E	26° 52' 0.708" N	123	92° 15' 9.080" E	26° 54' 30.674" N
51	93° 7' 54.671" E	26° 51' 13.087" N	124	92° 15' 27.562" E	26° 54' 34.899" N
52	93° 7' 54.212" E	26° 52' 5.785" N	125	92° 16' 40.155" E	26° 54' 8.015" N
53	93° 6' 28.115" E	26° 52' 3.137" N	126	92° 18' 20.083" E	26° 54' 26.403" N
54	93° 6' 9.534" E	26° 51' 25.647" N	127	92° 18' 18.686" E	26° 55' 22.293" N
55	93° 4' 45.882" E	26° 51' 58.628" N	128	92° 19' 31.875" E	26° 55' 39.847" N
56	93° 3' 31.706" E	26° 52' 38.216" N	129	92° 20' 35.209" E	26° 55' 50.149" N
57	93° 3' 13.090" E	26° 51' 31.660" N	130	92° 21' 57.372" E	26° 56' 4.600" N
58	93° 2' 48.903" E	26° 49' 51.745" N	131	92° 22' 11.213" E	26° 55' 42.819" N
59	93° 1' 55.611" E	26° 48' 33.455" N	132	92° 24' 4.879" E	26° 55' 28.867" N
60	93° 0' 43.549" E	26° 49' 6.337" N	133	92° 24' 53.185" E	26° 56' 33.566" N
61	93° 1' 11.899" E	26° 49' 59.204" N	134	92° 25' 43.015" E	26° 56' 27.579" N
62	93° 1' 14.194" E	26° 50' 48.893" N	135	92° 27' 0.331" E	26° 57' 30.921" N
63	92° 59' 56.858" E	26° 50' 45.761" N	136	92° 28' 39.751" E	26° 57' 40.101" N
64	92° 59' 47.962" E	26° 51' 52.367" N	137	92° 30' 23.610" E	26° 57' 47.840" N
65	92° 58' 48.581" E	26° 52' 30.678" N	138	92° 32' 2.946" E	26° 57' 34.234" N
66	92° 57' 23.881" E	26° 52' 36.799" N	139	92° 33' 10.992" E	26° 57' 27.092" N
67	92° 56' 8.272" E	26° 52' 40.176" N	140	92° 34' 40.798" E	26° 57' 31.909" N
68	92° 54' 56.050" E	26° 52' 12.631" N	141	92° 36' 48.937" E	26° 58' 16.140" N
69	92° 53' 52.332" E	26° 52' 13.659" N	142	92° 38' 50.799" E	26° 59' 9.636" N
70	92° 52' 46.013" E	26° 51' 29.044" N	143	92° 38' 57.725" E	27° 0' 52.845" N
71	92° 52' 17.980" E	26° 50' 8.831" N	144	92° 39' 21.748" E	27° 1' 31.554" N

ANNEXURE-IV

TABLE A. LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF NAMERI NATIONAL PARK ALONG WITH GEO-COORDINATES

(The List is tentative and non exhaustive)

Sl. No.	Name	Longitude	Latitude
1	Chotaigaon	92°47’44.91”	26° 57’34.73”
2	Chotaigaon (Miribasti)	92°48’31.81”	26° 56’51.08”
3	Potasall	92°49’29.61”	26° 55’22.99”
4	Gamani	92°48’25.23”	26° 55’36.26”

5	Natun Dharikati	92°49’31.86”	26° 54’53.71”
6	Aralilaga	92°47’42.14”	26° 54’22.27”
7	Sopaloga	92°47’44.57”	26° 54’45.88”
8	Sengelimari	92°47’21.55”	26° 53’27.56”
9	Dharikati	92°49’39.99”	26° 53’16.76”
10	Uttar Balijuri	92°57’35.35”	26° 51’26.31”
11	Tezalpatty	92°58’51.32”	26° 52’5.219”
12	Mirigaon	92°56’5.113”	26° 52’45.12”

TABLE B: LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF SONAI-RUPAI WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

(The List is tentative and non exhaustive)

Sl. No.	Name	Longitude	Latitude
1.	Kachharigaon	92°37'23.87" E	26°53'30.21" N
2.	Lotara	92°37'44.41" E	26°51'53.34" N
3.	Jiaghabharu	92°35'32.80" E	26°51'25.52" N
4.	Rikamari	92°34'33.65" E	26°51'18.05" N
5.	Kalamati	92°32'52.00" E	26°51'44.73" N
6.	Bhaiganajuli	92°33'11.40" E	26°51'26.58" N
7.	Dighalijuli	92°33'56.28" E	26°51'19.45" N
8.	Ramnathpur	92°31'20.23" E	26°49'15.23" N
9.	Bherberi	92°34'39.64" E	26°50'11.49" N
10.	Jingabil	92°19'50.31" E	26°51'29.67" N
11.	Deonsani	92°20'23.22" E	26°51'14.40" N
12.	Jaggapur	92°19'35.95" E	26°50'24.68" N
13.	Lokampur	92°19'36.14" E	26°49'39.54" N
14.	Bhotapara	92°20'59.16" E	26°49'11.03" N
15.	Chapai Raumar	92°22'16.57" E	26°49'20.19" N
16.	Jhargaon	92°22'48.81" E	26°49'13.32" N

ANNEXURE –V

Performa of Action Taken Report:-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (Mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2020.10.29 20:11:42 +05'30'